राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3270/2024

रविशंकर शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (मुख्यालय), कोटपूतली बहरोड़।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, कोटपूतली बहरोड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 08.11.2024

आदेश की दिनांक : 12.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Jodula, ब्लॉक विराट नगर, जिला कोटपूतली बहरोड में कार्यरत है। उनका कथन है कि

अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति शारीरिक शिक्षक के पद पर हुई थी और उसे वेतन श्रृंखला 1200–2050 के अंतर्गत नियुक्त किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 06.04.1990 को कार्यग्रहण किया। परंतु प्रत्यर्थी विभाग ने ग्रीष्मावकाश के समय वेतन का भुगतान नहीं किया और ग्रीष्मावकाश पश्चात् अपीलार्थी को पुनः आदेश दिनांक 26.04.1990 के द्वारा नियुक्ति दी गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.1990 को कार्यग्रहण किया और इस प्रकार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर अपीलार्थी को चयनित वेतनमान का लाभ प्रदान किया गया, जबकि अपीलार्थी ने ग्रीष्मावकाश पूर्व कार्यग्रहण किया और इस प्रकार ग्रीष्मावकाश से पूर्व कार्यग्रहण करने के आधार पर अपीलार्थी चयनित वेतनमान का लाभ ग्रीष्मावकाश अवधि का लेने का हकदार है, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उसे नहीं दिया गया। जबकि अपीलार्थी ग्रीष्मावकाश अवधि का वेतन आदि का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 555/2003 जोरावर सिंह बनाम राज्य जिसमें विभाग को यह निर्देश दिये कि प्रार्थी को प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से वेतन आदि का लाभ प्रदान किया जावे और उसकी पालना में विभाग द्वारा ग्रीष्मावकाश का समस्त लाभ प्रदान किया गया और इस प्रकार अपीलार्थी का भी मामला उक्त मामले के समान है। अतः अपीलार्थी ग्रीष्मावकाश की अवधि का वेतन आदि का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 28.07.2003 जिसमें स्पष्ट है कि यदि कार्मिक नियमित नियुक्ति आधार पर नियुक्त होने पर परिवीक्षा काल के दौरान कार्मिक ग्रीष्मावकाश का वेतन प्राप्त करने का हकदार होगा और इस प्रकार अपीलार्थी को उक्त लाभ से वंचित रखा जाना नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि ग्रीष्मावकाश की अवधि की सेवा की गणना करते हुये समस्त जैसे वरिष्ठता, पदोन्नति एवं वेतन आदि का लाभ प्रदान किया जावे और उक्त लाभ उसकी प्रारंभिक नियुक्ति दिनांक से गणना करते हुये दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने

पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन शारीरिक शिक्षक ग्रेड तृतीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, Jodula, ब्लॉक विराट नगर, जिला कोटपूतली बहरोड में कार्यरत है। परंतु अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)